



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— 974/1सी0 (वन)

दिनांक 25/08/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय—

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/31469/2018, कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ—

आपका पत्रांक सं०— पत्रांक सं०— 752/126-1 गोपेश्वर दिनांक 19.8.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली के वनभूमि प्रस्ताव पर बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र वनक्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त पार्ट-I में ऑनलाइन अपलोड कर मूल में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न— बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र मूल में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)
25.8.2020

पत्रांक—

/1सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि — सहायक अभियन्ता (प्रथम) निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

परियोजना का नाम -

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौदी-देवली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं० 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल भूमि 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लोनिनि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वाणिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क०सं०	ब्लाक	प्रजाति	वैज्ञानिक का नाम	व्यास वर्ग									
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक
01		बाँज	Quercus Leucotrichophra Camus ex Bahadur (syn. Q. incana Roxb	10	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	योग			-	9	-	-	-	-	-	-	-	9

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वनक्षेत्र अधिकारी
शबलपुर वन क्षेत्र अधिकारी

उपवन संरक्षक

वन संरक्षक